रजिस्टर्ड नं0 HP/13,SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 जून, 2004/3 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 जून, 2004

संख्या वि0 स0-गवर्नमैंट बिल/1-35-2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 24 जून, 2004 को

955-राजपत्र/2004-24-6-2004—1,410.

मूल्य : 1 रुपया ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे0 आर0 गाजटा,
सचिव।

2004 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : —

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2004 है ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 5 की उप-धारा (1) में, "तीस करोड़" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां ये आते हैं, "चालीस करोड़" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 के अधीन हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। उपर्युक्त निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में यह उपबन्धित है कि निगम की प्राधिकृत पूंजी तीस करोड़ से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान सम्बन्धित निगम के क्रियाकलापों में अब कई गुणा वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त, धन मूल्य ह्रास के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त निगम की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा को तीस करोड़ से बढ़ा कर चालीस करोड़ कर दिया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख.....2004

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी को तीस करोड़ से बढ़ा कर चालीस करोड़ रुपये करने के लिए है। निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि से राजकोष में से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख.....2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2004

THE HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979 (*Act No.* 20 *of* 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979, in sub-section (1), for the words "thirty crores" wherever these occur, the words "forty crores" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation was set up in the year 1979 under the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979. The objective of the aforesaid Corporation is to speed up the economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State. Section 5 of the Act *ibid* provides that the authorised capital of the Corporation shall not exceed rupees 30.00 crores. Now the activities of the Corporation concerning the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have increased manifold. Apart from this, due to the depriciation of money value, it has become necessary to enhance the maximum limit of the authorised capital of the aforesaid Corporation from rupees thirty crores to rupees forty crores. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

Dated....June, 2004.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to increase the authorised capital of the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation from Rs. 30.00 crores to Rs. 40.00 crores. With the increase of the authorised capital of the Corporation, there will be no extra expenditure out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

THE HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2004

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979 (*Act No.* 20 *of* 1979).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (*Law*).

SHIMLA :

The.....June, 2004

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित